आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि साहित Action taken on order with date
03/08/16	**न्यायालय – अपर समाहर्त्ता, खूँटी** **SAR Appeal No. - 10R15/2013** **कुमार प्रतीक बड़ाईक – अपीलकर्त्ता** **वनाम्** **कैलाश राम गौंझू एवं अन्य – विपक्षी** **आदेश** प्रस्तुत अपील आवेदन कुमार प्रतीक बड़ाईक पे0 स्व0 श्रवण बड़ाईक साकिन – ईदरी, थाना खूँटी, जिला राँची वर्तमान जिला खूँटी वर्तमान पता – साकिन एटा, थाना टाटीसिलवे, जिला – राँची में अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के SAR वाद संख्या–05/2012 में दिनांक 06.03.13 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलम्ब के लिए समय क्षांति आवेदन दाखिल किया गया है। दाखिला विन्दु पर सुनवाई हेतु अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विपक्षी को सूचना निर्गत किया गया। तत्पश्चात विपक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थिति दी गयी। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिला विन्दु पर बहस किया गया। बहस में कहा गया कि आवेदक द्वारा मौजा इदरी, थाना – खूँटी, जिला रॉची वर्तमान जिला खूँटी के खाता नं0 – 45 एवं 46 के प्लॉट का 11.15 एकड़ भूमि का वापसी हेतु धारा 71A छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के न्यायालय में SAR-5/11-12 दायर किया गया था। जिसे खारिज कर दिया गया। खाता नं0 45 एवं 46 जो खतियानी रैयत डुगरू बड़ाईक पे0 स्व0 सोहन बड़ाईक के नाम से दर्ज है। अपीलकर्ता डुगरू बड़ाईक के पोता है। डुगरू बड़ाईक के मृत्यु पश्चात उनके दो पुत्र– करम सिंह बड़ाईक एवं उदय राम बड़ाईक को छोड़ गए। करम सिंह बड़ाईक के मृत्यु पश्चात श्रवण बड़ाईक को छोड़ गए। अशोक बड़ाईक एवं कृष्णा बड़ाईक, श्रवण बड़ाईक के मृत्यु पश्चात उनके पुत्र कुमार प्रतीक बड़ाईक एवं कुमार सौरभ बड़ाईक को छोड़ गए। उदय राम बड़ाईक पे0 डुगरू बड़ाईक के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्री सीता देवी उर्फ चमरी W/o राम सिंह बड़ाईक की मृत्यु	

नावल्द हो गयी। विवादित जमीन डुगरू बड़ाईक एवं मो0 चमरी पति राम सिंह बड़ाईक की संयुक्त सम्पति थी, जो आर0एस0 खतियान में दोनों का नाम दर्ज है। ये जाति के बड़ाईक खतियान में दर्ज है। वे बड़ाईक जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। करम सिंह बड़ाईक पे0 स्व0 डुगरू बड़ाईक द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के न्यायालय में SAR वाद 123/70–71 दायर किया गया था, जिसमें करम सिंह बड़ाईक के पक्ष में फैसला हुआ था। इसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा अपर समाहर्त्ता, रॉची के न्यायालय में अपील वाद 166R16/75-76 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 19.09.1976 को निम्न न्यायालय के आदेश को बहाल रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रॉची के न्यायालय में रिवीजन वाद संख्या – 266/76 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 04.10.1978 को निम्न न्यायालय के आदेश को बहाल रखा गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या – 576/1978 दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा दावा किया गया है कि उक्त विवादित जमीन को रजिस्ट्री पट्टा द्वारा निकोलस पे0 स्व0 इस्माईल प्रभु दास से दिनांक 04.10.1977 को खरीदी की गयी थी। उक्त खरीदी के पूर्व इस्माईल प्रभु दास ने खतियानी रैयत से दिनांक 28.06.39 को खरीदा गया था। परन्तु वे अंचल अधिकारी, खूँटी के कार्यालय में दाखिल खारिज करने के पश्चात भी कभी दखल में नहीं रहे। अपीलकर्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए अपील स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

चूँकि वाद प्रारंभ कर विपक्षी को भी सूचना निर्गत किया गया था, जिसके कारण विपक्षी द्वारा भी Rejoinder दाखिल किया गया है, जिसमें उल्लेख किया है कि प्रस्तुत अपीलवाद कालबाधित है। विपक्षी द्वारा बहस में निम्न बातें कही गयी – छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71'A' की कार्यवाही हेतु संस्थित यह वाद कानून एवं तथ्य के दृष्टिकोण से नहीं हैं। क्योंकि अपीलकर्ता अनुसुचित जनजाति के सदस्य नहीं है। अपीलकर्ता चीक बड़ाईक जाति के सदस्य नहीं है। उक्त वाद में सनिहित भूमि से संबंधित एक अन्य वाद पूर्व में ही अपीलकर्ता के पूर्वज द्वारा उपचार प्राप्ति हेतु पटना उच्च न्यायालय के रॉची पीठ में CWJC No. 576/1978(R) में दाखिल किया गया था। जिसमें विपक्षी चन्द्रनाथ गंझू एवं उसके भाई काशीनाथ गौझू एवं अन्य के पक्ष में विनिश्चिय पारित हुआ। साथ उल्लेख किया गया कि एस0ए0आर0 केश नं0 123/71–72 करम सिंह बड़ाईक बनाम काशीनाथ राम गौंझू से संबंधित आदेश के खिलाफ उक्त सी0डब्ल्यू0जे0सी0 वाद पटना उच्च

न्यायालय में दाखिल किया गया था। रेसजुडिकाटा के सिद्धान्त (सी0पी0सी0) की धारा – 11 के अनुसार समय अधिकारिता वाले न्यायालय में समान पक्षकारों एवं लगान विषय वस्तु तथा समान वाद हेतुक पर पुनः मुकदमों का विचारण करना विधि द्वारा निषिद्ध है। क्योंकि इस मुकदमा से पूर्व ही सन 1974 ई0 में इन्ही पक्षकारों के मध्य समान वाद हेतुक पर 71 ए सी0एन0टी0 एक्ट का आदेश एस0 ए0आर0 केश नं0 123/71–72 में पारित हो चुका है। साथ ही उक्त वाद परिसीमा विधि द्वारा भी बाधित है। क्यों कि 71 ए सी0एन0टी0 के तहत उपचार प्राप्ति हेतु 30 वर्षो की समयावधि के पश्चात यह मुकदमा दाखिल करना पोषकीय नहीं होता है। विपक्षीगणों ने प्रश्नगत जमीन को 5.05.1970 एवं 4.10.1977 ई0 में रजिस्ट्री पट्टा द्वारा प्राप्त किये हैं तथा तब से अपना हक अधिकार, स्वत्व एवं दखल कब्जा स्थापित कर चुके हैं। इसी रजिस्ट्री पट्टा के बल पर विपक्षी ने दाखिल खारिज बाद संख्या 199R27/93-94 द्वारा दाखिल खारिज करा लिये है एवं लगातार लगान देकर रसीद प्राप्त कर रहे हैं, प्रश्नगत जमीन पर विपक्षियों का उनके पूर्वजों के जीवन काल से अबतक 65 वर्षो से अधिक का दखल कब्जा रहा है।

अपीलकर्ता विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिला बिन्दु पर किया गया बहस सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त वाद में पूर्व में ही माननीय उच्च न्यायालय पटना के रॉची पीठ में CWJC No. 576/1978 (आर) में दिनांक 03.04.1986 को आदेश पारित किया जा चूका है, जिसमें फेर बदल या संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को नहीं है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित आदेश के आलोक में आवेदक का आवेदन पत्र दाखिला बिन्दु पर ही अस्वीकृत किया जाता है। उभय पक्षों को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

03/08/16

अपर समाहर्त्ता,
खूँटी

03/08/16

अपर समाहर्त्ता,
खूँटी